न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 15/2022

श्री रामेश्वर पुत्र श्री स्व. श्री घीसालाल जाति रेगर निवासी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसान

1. श्रीमती कंचन पत्नी श्री रामेश्वरलाल
2. श्री राजू मौर्या पुत्र श्री रामेश्वरलाल
3. श्रीमती संतोष पत्नी स्व. श्री गणपत
4. श्री बबलू पुत्र स्व. श्री गणपत नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती संतोष पत्नी स्व. श्री गणपत
5. श्री नरेश पुत्र स्व. श्री गणपत जरिये वली माता श्रीमती संतोष पत्नी स्व. श्री गणपत
6. कुमारी पायल पुत्री स्व. श्री गणपत जरिये वली माता श्रीमती संतोष पत्नी स्व. श्री गणपत
7. श्रीमती जशोदा पत्नी स्व. श्री रामरतन
8. श्री कुणाल पुत्र स्व. श्री रामरतन जरिये वली माता श्रीमती जशोदा पत्नी श्री रामरतन
9. कुमारी भावना पुत्री स्व. श्री रामरतन जरिये वली माता स्व. श्री रामरतन
10. श्रीमती पिंकी पुत्री स्व. श्री रामेश्वलाल पत्नी श्री रविशंकर

समस्त निवासीगण ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवकरण जाति रेगर, निवासी ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....**गैर निगरानीकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 31 बुक संख्या 39 दिनांक 06.11.2019

उपस्थित :–

1– श्री निर्मल कुमार जैन वकील निगरानीकर्ता की ओर से

2– श्री बी पी एस राजावत अप्रार्थी संख 1 की ओर से

3– श्री राजीव सक्सैना, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

—: आदेश :—

दिनांक— 16.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ पंचायत समिति किशनगढ द्वारा जारी श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवकरण जाति रेगर निवासी ग्राम रूपनगढ़ के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 31, बुक संख्या 89 दिनांक 06.11.2019 को विधि विरूद्ध होना बताते हुए उक्त आक्षेपित पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय सुनवाई की जाकर श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवकरण जाति रेगर निवासी ग्राम रूपनगढ़ के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 31, बुक संख्या 89 दिनांक 06.11.2019 स्थित ग्राम रूपनगढ़ की आबादी आराजी खसरा नम्बर 1218 रकबा 3.6405है0 में सें आवंटित भूखण्ड 238.88 वर्गगज के आगामी तारीख पेशी तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये।

प्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर वकील अपीलान्ट की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 प्रस्तुत किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर श्री रामेश्वर के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये जाकर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड व तहसीलदार रूपनगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। तपश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगढ़ पंचायत समिति किशनगढ़ ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवकरण जाति रेगर के पक्ष में ग्राम रूपनगढ़ की आबादी भूमि का पट्टा, पट्टा संख्या 31 बुक संख्या 89 दिनांक 06.11.2019, क्षेत्रफल 43 गुणा 50 फीट (2150 वर्गफीट) (238.88 वर्गगज) जारी किया जो कि विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 02.10.1972 को एक आवासीय भूखण्ड नाप 30'x30' फुट निगरानीकर्ता श्री रामेश्वर के पक्ष में जारी किया गया, जिसके पूर्व में श्री हनुमान का भूखण्ड, पश्चिम में श्री बुद्धालाल का भूखण्ड, उत्तर में नहर तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 02.10.1972 को एक अन्य आवासीय भूखण्ड नाप 30'x30' फुट निगरानीकर्ता श्री बुद्धालाल के पक्ष में जारी किया गया, जिसके पूर्व में श्री रामेश्वर का भूखण्ड, पश्चिम में श्री हरजीराम का भूखण्ड, उत्तर में नहर तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। श्री बुद्धालाल, निगरानीकर्ता श्री रामेश्वर के भाई थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा श्री रामेश्वर ही श्री बुद्धालाल के वारिस है। उक्त दोनो भूखण्डों पर निगरानीकर्ता का पट्टा जारी दिनांक से आदिनांक तक विधिक व भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त दोनों भूखण्डों के पट्टा वर्तमान में भी प्रभावी है एवं किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये गये है। उन्होने कथन किया कि उक्त तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ़ को होने के बावजूद, दोनों भूखण्डों को एक कर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 43'x50' के भूखण्ड का पट्टा, पटटा संख्या 31 बुक संख्या 39 दिनांक 06.11.2019 जारी कर दिया। उन्होने यह भी कथन किया कि पट्टा संख्या 31 में वर्णित भूखण्ड में उत्तर दिशा की ओर नहर की भूमि में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

से 20 फुट की भूमि भी उक्त भूखण्ड में सम्मिलित कर ली गयी। वर्ष 1972 में जारी किये गये भूखण्ड वर्तमान में भी रिक्त है परन्तु इन पर मकान दर्शाते हुए विवादित पट्टा जारी कर दिया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत केवल ऐसे भूखण्ड का पट्टा जारी कर सकती है जिस पर 50 वर्षों से पक्का मकान स्थित हो तथा उसमें निरन्तर आवास कर रहे हो जबकि विवादित पट्टा, रिक्त भूखण्ड पर जारी किया गया है। वकील निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय सिविज जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ में विचाराधीन प्रकरण सं 01/2022 मांगीलाल बनाम रामेश्वर में न्यायालय की आदेशिका प्रस्तुत जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 को प्रार्थी श्री मांगीलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर, श्री मांगीलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 31 बुक संख्या 39 दिनांक 06.11.2019 की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व दोनों पक्षों को वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने बाबत निर्देश दिया है।

उन्होने यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार रूपनगढ़ को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे परन्तु तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण करने की बजाय पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तैयार करवायी जो कि झूठी तथा कूटरचित है। उन्होने कथन किया कि मौका रिपोर्ट में विवादित भूखण्ड पर पक्का निर्माण कर टीन शैड लगे होना तथा मांगीलाल पुत्र देवकरण का परिवार सहित निवास करना अवगत कराया है जबकि वास्तविक रूप से विवादित भूखण्ड के एक भाग पर लकड़ी की बल्लियाँ गाढ़कर लोहे की चद्दर डाल रखी है तथा कोई पक्का निर्माण नहीं है। उन्होने तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को निरस्त कर स्वयं न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करने एवं पूर्व में जारी पट्टा दिनांक 02.10.1972 वर्तमान में प्रभावी होने के कारण, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर एवं बहस में कथन किया कि विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 श्री मांगीलाल का ही कजा है तथा इससे पूर्व उनके पिता श्री देवकरण का कब्जा था। प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्डों की जो सीमा बतायी गयी है, वह भी गलत है। उन्होने यह भी कथन किया कि श्री बुद्धालाल के प्रार्थी का भाई होने बाबत कथन को प्रार्थी स्वंय साबित करे। प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 के भूखण्डों की सीमाएँ भी अलग-अलग है। अतः प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है कि पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में जारी दो भूखण्डों का एक ही भूखण्ड बना दिया गया। उन्होने यह भी कथन किया कि पूर्व में उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री देवकरण का ही कब्जा था जिस पर उनके द्वारा एक कमरा बनवाया गया था जो आज भी काबिज है। उन्होने यह भी कथन किया कि यदि निगरानीकर्ता तथा अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे का प्लॉट एक ही होता तो सिविल न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के वाद को कब्जे के अभाव में निर्णय दिनांक 14.06.2010 को खारिज नहीं करता। उन्होने यह भी कथन किया कि निगरानीकर्ता ने तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को झूठी व कूट रचित होना बताया है, इसे निगरानीकर्ता स्वयं साबित करे। जबकि वास्तविक रूप में पटवारी हल्का द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर वास्तविक रिपोर्ट तैयार करी है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा आक्षेपीय पट्टा संख्या 31 बुक संख्या 39 दिनांक 06.11.2019 श्री मांगीलाल पुत्र

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

देवकरण क्षेत्रफल 43 गुणा 50 फीट (2150 वर्गफीट) (238.88 वर्गगज) जारी किया था। उक्त भूखण्ड ग्राम रूपनगढ़ की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1218 रकबा 3.6405है0 में स्थित है। निगरानीकर्ता का कथन है कि उक्त भूखण्ड, पूर्व में ग्राम पचांयत द्वारा दिनांक 02.10.1972 को जारी दो भूखण्डों के पट्टों का संयुक्त भूखण्ड है तथा दिनांक 02.10.1972 को जारी पट्टे वर्तमान मे भी प्रभावी है तथा इन पर उसका ही विधिक व भौतिक रूप से कब्जा है। अपने कथन के समर्थन में निगरानीकर्ता ने दिनांक 02.10.1972 को जारी पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत की है, परन्तु निगरानीकर्ता, उक्त विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा होना प्रमाणित नहीं कर पाया है। पत्रावली पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये फर्द दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (कख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ ने दीवानी मूल प्रकरण संख्या 109/2003 निर्णय दिनांक 22.05.2013 उनवान रामेश्वर पुत्र घीसालाल बनाम मांगीलाल पुत्र देवकरण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा जारी पट्टा दिनांक 02.10.1972 में वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा रहा है। इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश किशनगढ़ में दीवानी अपील संख्या 31/2013 उनवान रामेश्वर पुत्र घीसालाल बनाम मांगीलाल पुत्र देवकरण व अन्य प्रस्तुत की गयी जिसे भी निर्णय दिनांक 22.09.2015 को न्यायालय द्वारा आधारहीन होने के कारण खारिज कर, निर्णय दिनांक 02.05.2013 को यथावत रखा है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनापत्र विरूद्ध तहसीलदार रूपनगढ़ की मौका रिपोर्ट में उक्त रिपोर्ट को असत्य करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु तहसीलदार द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण आपत्ति प्रस्तुत की है, जो कि उचित नही है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थनपत्र विरूद्ध मौका रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ को अस्वीकार किया जाकर विचाराधीन निगरानी याचिका को निरस्त किया जाकर, ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवकरण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 बुक संख्या 39 दिनांक 06.11.2019 रकबा 238.88 वर्गगज को यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर